

36

न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल ग्वालियर सर्किट कोर्ट रीवा  
जिला रीवा (म0प्र0)

364  
11-7-14

R. 2539-1114



Pr-201

- 1- मोतीलाल साकेत तनय पियारे साकेत
- 2- रमई साकेत पिता लोली साकेत
- 3- रामसरोबर तनय लोली साकेत

तीनों निवासी ग्राम त्योंधारी नं0 1 तह0 अमरपाटन जिला सतना म0प्र0

— आवेदक गण / निगरानी कर्ता गण

बनाम

काशी प्रसाद साकेत तनय श्री विशलवा साकेत निवासी ग्राम त्योंधारी नं0 1  
तहसील अमरपाटन जिला सतना म0प्र0

— आवेदक / गैर निगरानी कर्ता

निगरानी विरुद्ध आदेश अपर आयुक्त  
महोदय, रीवा के प्रकरण क्रमांक  
390/अपील / 13-14 आदेश दिनांक  
13-06-14

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0भू0.  
रा0सं0 1959 ई0

श्री. सूर्यनाथ प्रोड्यूसर...  
द्वारा आज दिनांक 11-7-14... के  
प्रस्तुत किया गया।

सिडर  
सर्किट कोर्ट रीवा

दायरा 50  
30  
24-7

मान्यवर,

निगरानी के तथ्य निम्नलिखित है :-

1- यह कि दिनांक 10-03-14 को अनुविभागीय अधिकारी अमरपाटन जिला सतना म0प्र0 के प्रकरण क्रमांक 160/अ74 / 12-13 के विरुद्ध द्वितीय अपील श्रीमान् अपर आयुक्त महोदय, रीवा के न्यायालय में दायर की गई जिस पर अपर आयुक्त महोदय, रीवा में दायरा के समय ही स्थगन आदेश जारी किया गया जिस पर रेस्पॉन्स की ओर से आपत्ति इस बावत् की गई कि स्थगन आदेश को निरस्त किया जाय और अपील भी प्रचलन शील ना होने के कारण निरस्त की जाय जिस पर अपीलार्थी की ओर से जबाब प्रस्तुत किया गया और साथ ही आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि स्थगन आदेश बढ़ाया जाय जिस पर


M

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर  
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

मामला क्र० नि०2539-दो/14

जिला-सतना

मोतीलाल साकेत / काशी प्रसाद साकेत

(1)	(2)	(3)
17.01.17	<ol style="list-style-type: none"><li>1. प्रकरण प्रस्तुत।</li><li>2. आवेदक तथा उनके अधिवक्ता की पुकार करायी गयी किन्तु सूचना उपरांत उपस्थित नहीं है।</li><li>3. चूकि आवेदक तथा अभिभाषक सूचना उपरांत उपस्थित नहीं है। अतः संहिता की धारा-35(2) के तहत प्रकरण अदम पैरवी में खारिज किया जाता है।</li><li>4. आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भेजी जावे, तत्पश्चात प्रकरण पंजी से समाप्त होकर दा.द. हो</li></ol> <p style="text-align: right;"> सदस्य</p>	